



2026:AHC:51204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 2533 वर्ष 2026

अनुरुद्ध कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मयूरी मेहरोत्रा, मोहम्मद अरीब मसूद

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि (ए) एक रिट, आदेश या निर्देश सर्टियोरारी की प्रकृति में जारी किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक द्वारा दिनांक 12.09.2025 को पारित विवादास्पद आदेश को रद्द किया जा सके, जिसमें याचिकाकर्ता के तकनीकी सहायक (समूह-बी) के पद पर पदोन्नति के दावे को अस्वीकार किया गया; (बी) एक रिट, आदेश या निर्देश मंडेमस की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को तकनीकी सहायक (समूह-सी) से तकनीकी सहायक (समूह-बी) के पद पर पदोन्नत करें, जिस तिथि से उसके तत्काल कनिष्ठों को वर्ष 2023 में आयोजित डीपीसी के अनुसार पदोन्नति दी गई थी, तथा सभी परिणामी सेवा लाभ भी प्रदान किए जाएँ; (सी) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे इस माननीय न्यायालय को प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप उचित एवं उपयुक्त लगे; (डी) याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए तकनीकी दोष के कारण, साथ ही नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।